संख्या–एस0ई0–1008/दस–2010–बीमा–6/2010

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सेवायें) अनुभाग–1 **लखनऊः दिनांक 24 नवम्बर, 2010**

विषयः **उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत तीन माह के उपरान्त विलम्ब से भुगतान किये जाने पर अतिरिक्त देय ब्याज का भुगतान।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से शासन द्वारा लागू की गयी है और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य कर्मचारियों एवं उनके लाभार्थियों को उनके उत्पन्न दावों का शीघ्रता से निस्तारण करते हुए उन्हें आर्थिक लाभ पहुँचाये जाने का है। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी सरकारी सेवक जिस माह में वह अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवा निवृत्त होता है, उस माह के पूर्व के माह के वेतन से दो माहों की बीमा योजना के अभिदानों की कटौती करके और माह के वेतन का भुगतान होने के उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक का दावा भुगतान हेतु बीमा निदेशालय को भेजे जाने की व्यवस्था शासन द्वारा पूर्व से निर्धारित है। इसी प्रकार सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के दावों के निस्तारण में शीघ्रता के उद्देश्य से किसी भी सरकारी सेवक का दावा उत्पन्न होने पर विशेष वाहक के माध्यम से बीमा निदेशालय को मृत्यु के तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित है।

2. प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकारी/कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर/ सेवारत अवस्था में मृत्यु होने पर योजना के अन्तर्गत देय सामूहिक बीमा की धनराशि का समय से भुगतान न हो सकने के कारण प्रकरण में लाभार्थियों द्वारा दावों का ब्याज सहित भुगतान दिलाये जाने हेतु माननीय न्यायालयों अधिकरण/उपभोक्ता फोरम में रिट याचिकायें/वाद दायर कर दिये जाते हैं। विलम्ब से भुगतान होने पर जहॉ एक ओर योजना का मूल उद्देश्य विफल होने से सरकारी सेवक/लाभार्थी को आर्थिक/ मानसिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है वही दूसरी ओर प्रकरण वादग्रस्त हो जाने से विभाग के समक्ष भी अनावश्यक रूप से अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है।

3. अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत

izeq[k
lfpo

विभागीय स्तर पर विलम्ब प्रमाणित होने पर सेवा निवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक एवं सेवारत अवस्था में मृत सरकारी सेवकों के उत्पन्न दावों में उनके दावा उत्पन्न होने की तिथि अर्थात सेवा निवृत्त, मृत्यु की तिथि अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने की तिथि से तीन माह की अवधि के उपरान्त विलम्ब से भुगतान किये जाने की स्थिति में तीन माह की अवधि के बाद, उन्हें अनुमन्य धनराशि पर सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की प्रचलित ब्याज की निर्धारित दर (वर्तमान में आठ प्रतिशत जो समय–समय पर परिवर्तनीय होगी) से साधारण ब्याज देय होगा। इस प्रकार भुगतान की गयी ब्याज की धनराशि की वसूली उस अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से की जायेगी, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर भुगतान की कार्यवाही में अप्रत्याशित विलम्ब किया गया होगा। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रशासकीय विलम्ब के कारण ब्याज की अदायगी की जानी हो उनमें विलम्ब के लिये जिम्मेदारी नियत करने हेतु जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी/ विभागाध्यक्ष जिम्मेदारी नियत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे।

4. उपरोक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे किन्तु मृत्यु एवं सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक के जिन प्रकरणों में अब तक भुगतान नहीं किया गया है और विलम्ब की स्थिति विभागीय स्तर पर प्रमाणित हो जाती है तो उन प्रकरणों में भी उपरोक्त प्रस्तर–3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उल्लिखित दर पर ब्याज का भुगतान किया जायेगा। पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिपेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

5. इस प्रकार देय ब्याज की धनराशि का आगणन/भुगतान उसके मूल भुगतान किये जाने वाले दावे के साथ किया जायेगा और जिस लेखाशीर्षक से योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान किया जाता है, उसी लेखाशीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार भुगतानित ब्याज की धनराशि भी लेखांकित की जायेगी।

6. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावों के प्रेषण के सम्बन्ध में उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक के बीमा योजना सम्बन्धी उत्पन्न दावे सामूहिक बीमा निदेशालय/प्रदेश के कोषागारों /इरला चेक अनुभाग/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली (जैसी स्थिति हो), को प्रेषित किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

भवदीय,
अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–एस0ई0–1008(1)/दस–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

izeq[k
lfpo

2. निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी, सामूहिक बीमा निदेशालय, विकासदीप, 22–स्टेशन रोड, लखनऊ।
3. राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. विधानसभा सचिवालय/विधान परिषद, सचिवालय।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. रेजीडेन्ट कमिश्मनर/पे एण्ड एकाउन्ट आफिस, नई दिल्ली।
7. इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ/संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय, इलाहाबाद।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
11. निदेशक, वित्तीय सॉख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
12. निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
13. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. भाषा(प्रकाशन) अनुभाग (तीन प्रतियां)
16. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, उ0प्र0, छठवां तल, योजना भवन, लखनऊ।
17. वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
18. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र मित्रा)
अनु सचिव।

izeq[k
lfpo